खण्ड-464, अंक-3
शुक्रवार, 08 आषाढ़, शक संवत् 1929
(29 जून, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना	1
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण..... (प्रस्तुत) ...	1-24
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के माह अगस्त व सितम्बर, 2007 के व्यय हेतु लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	24-25
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 (पारित) ...	25-34
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	34
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ..	35
उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ..	35
लोक निर्माण विभाग द्वारा एक दल विशेष से प्रस्ताव मांगे जाने सम्बन्धी सूचना की जानकारी	36-37
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	37-38
खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	39
गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय मार्ग पर मसेहरा पुल की मरम्मत/निर्माण कार्य होने के कारण आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत शहर की मुख्य क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
जनपद फैजाबाद के सोहावल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकृत होने के बाद भी डाक्टरों/कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध लाजपत राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद में वरिष्ठतम शिक्षक को ही प्राचार्य नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
झांसी की गरौठा तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय में एण्टी रैबीज सुई की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
बलिया के बांसडीह क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित कतिपय गांव के लोगों को पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरदह नन्दाव से दयालपुर तक मंगई नदी की खुदाई और सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	42-43
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	43-44
नगर विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-45
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	45-56
महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	56-57
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	57-61
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	61-62

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 363

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अयोध्या पाल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजय तोमर, डा0	बागपत	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली	अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अजय यादव, श्री	एटा	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कुमार, श्री	औरैया
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्बास अली जैदी उर्फ रश्दी मियां, श्री	फैजाबाद	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
		आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर

आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती

जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी	
(गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया

भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0, श्री	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, श्री	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायन यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान, श्री	बलिया
श्री भगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, श्री	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट- मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती), आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अनन्त कुमार मिश्रा) भी सदन में उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

एक आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना है। अब कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2007-2008 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है :--

"हां" सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, आज़मगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2007-2008 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। प्रस्तुत बजट के साथ संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए दो माह का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे सदन को पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रतियां वितरित करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गई)

कुमारी मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2007-2008 का बजट "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित है जिससे प्रदेश के शोषित-पीड़ित और गरीब जनता के कल्याण और उत्थान का सीधा सरोकार है।

हमारी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त गैर-बराबरी वाली समाज व्यवस्था को बदल कर एक "समतामूलक-समाज-व्यवस्था" स्थापित करना है, जिसमें सर्वजन व सर्वसमाज का हित निहित हो। यही मंशा बहुजन समाज में समय-समय पर जन्मे सन्तों, गुरूओं व महापुरुषों की भी रही है। देश में समतामूलक-समाज-व्यवस्था स्थापित करने में खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, पेरियार जी, बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी का सराहनीय योगदान रहा है।

"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्षों से वंचित विशाल आबादी रखने वाले समाज अर्थात अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा अन्य वर्गों में से भी गरीब लोगों को प्राथमिकता देते हुए विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये। इसी क्रम में, समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने तथा उन्हें बेहतर जीवन स्तर देने के लिए नई नीतियां एवं योजनायें बनाई जायेंगी।

मान्यवर, जहां तक समतामूलक-समाज-व्यवस्था की स्थापना का सवाल है, हमारा यह मानना है कि यहां अकेले बहुजन समाज को संगठित करके समतामूलक-समाज-व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती और इसके लिए सवर्ण हिन्दुओं को भी साथ लेकर चलना होगा तभी यहां भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर की सोच के अनुसार समतामूलक-समाज-व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है और इसके बाद ही, फिर सर्वसमाज, समाज के एक सूत्र में बंध सकता है तथा समाज में ऊंच-नीच व जात-पांत का भी हमेशा के लिए अन्त हो सकता है।

मान्यवर, बजट प्रस्तावों की चर्चा करने के पूर्व मैं संक्षेप में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगी।

इस तथ्य से सम्मानित सदस्य भलीभांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से देश के अधिकतर राज्यों से पिछड़ा हुआ है। प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अपर्याप्त अवस्थापना सुविधायें, कम साक्षरता, शोचनीय स्वास्थ्य सुविधायें और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता से कहीं कम पूंजीनिवेश इस पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। पिछड़ेपन के इस कुचक्र को तोड़ कर प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश की औसत विकास दर 7.6 प्रतिशत रही लेकिन उत्तर प्रदेश की विकास दर केवल 5.1 प्रतिशत रही। विकास की यह दर बहुत कम है। प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष लाने के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें कृषि क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 10.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत विकास दर रखी गई है।

विकास दर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लगभग आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में लगभग छः लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना होगा।

प्रदेश की लगभग 33 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ग्यारहवीं योजना अवधि में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम से कम पचास प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।

विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अवस्थापना सुविधाओं, मुख्यतः सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जायेगा, क्षमतावृद्धि की जायेगी और गुणात्मक सुधार लाया जायेगा।

रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रदेश में कम से कम सवा करोड़ नये रोजगार सृजित किये जायेंगे।

प्रदेश में साक्षरता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये आवश्यक कदम सुनियोजित ढंग से उठाये जायेंगे ताकि मुख्य धारा से कटे हुये और जरूरतमंद तबकों को इनका लाभ मिल सके।

पिछली सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, छात्राओं को कन्या विद्या धन और गरीब महिलाओं को साड़ी बांटने जैसी योजनायें चलाकर लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश की गई। हमारी सरकार का यह मानना है कि समाज के किसी वर्ग को अनुग्रह के रूप में थोड़ी बहुत धनराशि देकर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने और उनमें सरकारी कृपा पर निर्भर हो जाने की मानसिकता को बढ़ावा देने के बजाय, उनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपना जीवन स्तर सुधार कर आत्मसम्मान के साथ जी सकें। पैसा और साड़ी बांटने जैसी निरर्थक योजनाओं को समाप्त कर हमारी सरकार द्वारा कई रोजगारपरक योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं, जिनका लाभ बेरोजगारों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के व्यक्ति उठा सकेंगे।

इन सभी प्रयासों की सफलता समाज के सभी वर्गों के परस्पर सहयोग और कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों तथा प्रदेश की जनता का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा।

अब मैं इस सम्मानित सदन को वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी।

विकास की जिन प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का उल्लेख मैंने किया है, प्रस्तुत बजट उन्हीं पर आधारित है। इस बजट में ग्रामीण अवस्थापना के विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिये कई योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं जिनका उल्लेख मैं आगे करूंगी।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगी :--

- वर्ष 2007-08 में बजट का आकार एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ रुपये (1,00,911 करोड़ रुपये) है जो पिछले वर्ष के बजट से 22 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो रहा है जो कि हर्ष का विषय है।

- वर्ष 2007-08 के बजट में लगभग आठ हजार नौ सौ करोड़ रुपये (8,900 करोड़ रुपये) की 512 नई योजनायें प्रस्तावित हैं। नई योजनाओं के लिये की गयी व्यवस्था पिछले साल के बजट में नई योजनाओं के लिये की गई व्यवस्था से 37 प्रतिशत अधिक है।

- प्रदेश में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुये पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लगभग अट्ठारह हजार चार सौ तीस करोड़ रुपये (18,430 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2007-08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिये लगभग तीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (30,777 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल के आयोजनागत बजट से 39 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2007-08 के बजट में लगभग छः हजार एक सौ छियालिस करोड़ रुपये (6,146 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है जो पिछले साल के बजट में अनुमानित राजस्व बचत एक हजार एक सौ तेईस करोड़ रुपये (1,123 करोड़ रुपये) से पांच हजार तेईस करोड़ रुपये (5,023 करोड़ रुपये) अधिक है।

- राजकोषीय घाटा लगभग बारह हजार चार सौ पचासी करोड़ रुपये (12,485 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है जो पिछले साल के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से दो सौ सत्ताईस करोड़ रुपये (227 करोड़ रुपये) कम है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2007-08 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष यह अनुपात 4.1 प्रतिशत था।

इस प्रकार बजट में विकास योजनाओं के लिये आवश्यक संसाधनों का यथेष्ट एवं संतुलित आवंटन करने के साथ-साथ प्रदेश की राजकोषीय स्थिति पर अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया है।

वर्ष 2007-2008 के बजट में सम्मिलित मुख्य योजनायें

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्रावधानों की चर्चा करूं, वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगी।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना-

प्रदेश में पूर्व में चलाई जा रही डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन में पिछली सरकार द्वारा यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण योजना से लाभान्वित होने वाले डा0 अम्बेडकर ग्रामों में प्रारम्भ किये गये कार्य अधूरे रह गये। हमारी सरकार द्वारा इन अधूरे पड़े कार्यों को विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, खड़ंजा एवं नाली आदि का निर्माण प्रमुख हैं।

डा0 अम्बेडकर गांवों के समेकित विकास हेतु "डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना" नामक एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से पांच ग्राम सभाओं का चयन करके उन्हें प्रमुख कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिये दस हजार करोड़ रुपये (10,000 करोड़ रुपये) से अधिक व्यय होने का अनुमान है। इन योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी।

- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत साढ़े तीन हजार ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण अंचलों में लगभग 3,200 किलोमीटर पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1,000 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है जिसके लिये लगभग आठ सौ करोड़ रुपये (800 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण तथा पूर्व में चयनित परन्तु असंतृप्त डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु तीन सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (377 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जिससे लगभग बीस हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा सकेगा।

- ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में ग्रामीण क्षेत्रों में नये हैण्डपम्प लगाये जायेंगे तथा पुराने हैण्डपम्पों को रीबोर कराया जायेगा। इस योजना के लिये चार सौ साठ करोड़ रुपये (460 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत खडंजा एवं नाली निर्माण हेतु तीन सौ बीस करोड़ रुपये (320 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत नाली निर्माण योजना के लिये लगभग चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- इन्दिरा आवासं योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में लगभग ढाई लाख परिवारों के लिये आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिये एक सौ साठ करोड़ रुपये (160 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

- अनुसूचित जाति आवास योजना के अन्तर्गत दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उपरोक्त योजनाओं की डव-टेलिंग केन्द्र की योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से की जायेगी जिससे केन्द्र की योजनाओं का भी लाभ प्रदेश को मिल सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों में भारी वृद्धि हो जायेगी।

हमारा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के लिये जो भारी निवेश किया जायेगा उससे न केवल इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी अपितु ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर भी सुलभ हो जायेंगे। इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जायगा और वे मुख्य धारा से जुड़ने में सफल होंगे।

शहरी अवस्थापना

- नगरों में बढ़ती आबादी को देखते हुए उपलब्ध जनसुविधायें अपर्याप्त हैं। नगरीय स्थानीय निकायों के पास अवस्थापना सुविधाओं के विकास और उनके रख-रखाव के लिये यथेष्ट संसाधनों का प्रायः अभाव होता है। अतः शहरी अवस्थापना के विकास के निये नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिये सरकार द्वारा "माननीय कांशीराम जी नगर विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही

है। इस योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को आसान शर्तों पर सरकार द्वारा दीर्घ अवधि ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के लिये दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

- डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक तथा संग्रहालय के अवशेष कार्यों को पूरा करने और दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करने के लिये लगभग तीन सौ बाईस करोड़ रुपये (322 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रमाबाई अम्बेडकर वाटिका को दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करने के लिये लगभग चौवालिस करोड़ रुपये (44 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा

अभी तक वृद्धावस्था/किसान पेंशन, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा विकलांग पेंशन की दर एक सौ पचास रुपये (150 रुपये) मासिक है। इतनी छोटी धनराशि इन असहाय व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिये पर्याप्त नहीं है।

मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हैं कि हमारी सरकार द्वारा इन सभी पेंशनों की दरों को दो गुना करते हुए तीन सौ रुपये (300 रुपये) प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है। वृद्धावस्था/किसान पेंशन का आच्छादन बीस लाख लाभार्थियों से बढ़ाकर चौबीस लाख कर दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिये वर्ष 2007-08 के बजट में लगभग एक हजार चार सौ दस करोड़ रुपये (1,410 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

बिजली

प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में लगभग दो हजार मेगावाट का अन्तर है। बिजली की उपलब्धता में यह कमी इसलिये है कि पिछले एक दशक में प्रदेश में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। पुराने विद्युत संयंत्र स्थापित क्षमता के साठ प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं और लाईन हानियां अत्यधिक हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार ने एक तरफ ऊर्जा विभाग का बजट नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9,209 करोड़ रुपये) कर दिया है जो पिछले साल की व्यवस्था चार हजार पांच सौ तीस करोड़ रुपये (4,530 करोड़ रुपये) के दो गुने से अधिक है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में विद्युत गृह स्थापित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।

- बारा और करछना (इलाहाबाद) तथा दोपहा (अनपरा) में निजी क्षेत्र में विद्युत गृहों की स्थापना के लिये निजी निवेश कर्ताओं को आकर्षित करने तथा उन्हें भूमि तथा जल

जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन शेल कम्पनियों का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त क्षेत्र में विद्युत उत्पादन गृह लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसको प्रारम्भ करने के लिये बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिये दो हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपये (2,340 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में बिजली के संचरण एवं वितरण सुविधाओं में विस्तार और सुधार के लिये लगभग चार हजार छत्तीस करोड़ रुपये (4,036 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये एक हजार सैंतीस करोड़ रुपये (1,037 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश में स्थापित विद्युत संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

इन सब प्रयासों से अगले एक वर्ष में एक हजार मेगावाट, अगले तीन से चार वर्षों में दो हजार आठ सौ मेगावाट तथा अगले पांच वर्षों में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सकेगी।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये योजनाएं

- बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु तीन सौ पन्चान्वे करोड़ रुपये (395 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के 30 सबसे पिछड़े जनपदों के समग्र विकास के लिये "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" से पोषित योजनाओं के लिये वर्ष 2007-08 में पांच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी दलों के विधायकों द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए अपार हर्ष है कि हमारी सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करते हुए दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को स्वीकृत की जाने वाली राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर सवा करोड़ रुपये कर दी गयी है। इस हेतु बजट में एक सौ छब्बीस करोड़ (126 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

शिक्षण संस्थायें

- अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं हेतु विभिन्न जनपदों में आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, भवन निर्माण एवं संचालन हेतु लगभग छिहत्तर करोड़ रुपये (76 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक अभियंत्रण संस्थान का उन्नयन करते हुए तथा आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करते हुए उसे इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बंगलौर के समान स्तर की संस्था के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- इसी प्रकार, प्रदेश के एक अभियंत्रण संस्थान को आई0आई0टी0 के स्तर की संस्था के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिये पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये दो नये एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जनपद अम्बेडकर नगर तथा सहारनपुर में स्थापित किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिये तीस-तीस करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2007-08 में दो नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना की जायेगी।

किसानों के लिये

- विकास की रणनीति में सरकार गांवों और किसानों की खुशहाली पर सबसे अधिक बल दे रही है। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये व्यापक सुधार की रणनीति अपनाई जायेगी।
- कृषि योजनाओं के लिये बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए एक हजार छः सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (1,647 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग चार सौ नब्बे करोड़ रुपये (490 करोड़ रुपये) नई योजनाओं के लिये है।
- दलित एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की समस्याग्रस्त ऊसर, बीहड़ तथा बंजर भूमि को उपचारित कर कृषि योग्य बनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करने तथा बेहतर जल प्रबन्धन के उद्देश्य से किसान हित योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना के अन्तर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में सात लाख हेक्टेयर भूमि को

उपचारित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2007-08 के बजट में योजना हेतु एक सौ छः करोड़ रुपये (106 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश की खेती में जैव रसायनों का प्रयोग फसलों के कीट एवं रोग नियंत्रण में किये जाने को बढ़ावा देने के लिये लगभग छियासी करोड़ रुपये (86 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसका विशेष लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों को प्राप्त हो सकेगा।
- विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लगभग सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की नयी योजनायें बजट में सम्मिलित की गई हैं।
- समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल संचयन तथा बेहतर जल प्रबन्धन की नयी योजनाओं के लिये पचपन करोड़ रुपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित हैं
- मृदा स्वास्थ्य सुधार योजना के लिये सैंतालिस करोड़ रुपये (47 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए उर्वरकों के संतुलित प्रयोग द्वारा भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि को "इको-फ्रेन्डली" बनाये जाने का लक्ष्य है।
- किसानों के स्तर पर प्रमाणित बीज उत्पादन योजना के लिये लगभग छत्तीस करोड़ रुपये (36 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रसायनिक खादों का पर्याप्त भण्डारण न होने के कारण किसानों को समय से रसायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। अतः रसायनिक खादों के भण्डारण के लिये प्रादेशिक सहकारी संघ को सहायता प्रदान किये जाने हेतु लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- प्रदेश के अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एक नई योजना, "एकीकृत विकास योजना" प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग, कृषि उत्थान और रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इस योजना के लिये सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।
- नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण पोषण के लिये लगभग दो सौ तीन करोड़ रुपये (203 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।
- बालिका श्री योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की कन्याओं को योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए

- सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दर में 01 जनवरी, 2007 से छः प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है।

- सरकारी वाहन चालकों को अभी तक वर्ष में एक बार 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने की व्यवस्था थी। वाहन चालकों के श्रमसाध्य दायित्वों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उन्हें एक महीने के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया है।

रोजगारपरक योजनाएं

जैसा मैंने पहले कहा है, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास पर भारी निवेश होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। स्थानीय आबादी को इन अवसरों का लाभ दिलाने के लिये "क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन केन्द्र" खोले जायेंगे। कुछ अन्य रोजगारपरक योजनाओं का उल्लेख आगे किया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने हेतु डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिये बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया हैं आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के लिये और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो हजार ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य है जिससे छत्तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये लगभग चार हजार छः सौ चौहत्तर करोड़ रुपये (4,674 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु कुल चार सौ बासठ करोड़ रुपये (462 करोड़ रुपये) की योजनाएं नयी मांग के माध्यम से प्रस्तावित हैं।

- पांच जनपदों-संत कबीरनगर, संत रविदासनगर, श्रावस्ती, औरैया एवं बलरामपुर में जिला चिकित्सालयों का निर्माण किया जायेगा तथा कानपुर नगर में 100 शैय्या वाले चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 35 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 125 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा 92 नये राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग दो सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (276 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों में निर्माण कार्यों तथा उपकरणों के क्रय के लिये लगभग दो सौ छियासी करोड़ रुपये (286 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगी।

शान्ति व्यवस्था

व्यक्ति और समाज के विकास की सम्भावनाओं को मजबूत बनाने के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अन्याय-मुक्त, अपराध-मुक्त, भय-मुक्त, भ्रष्टाचार-मुक्त एवं विकास-युक्त वातावरण उत्पन्न करके प्रदेश के हर क्षेत्र में "कानून द्वारा कानून का राज" कायम करना है। सरकार प्रदेश से कई वर्षों से व्याप्त जंगल राज को जड़ से खत्म करने के लिये कृत संकल्प हैं इसके लिये पुलिस अधिकारियों को राजनैतिक या किसी भी तरह के दबाव से मुक्त होकर काम करने का पूरा मौका दिया गया है।

कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर अदालत के जमानत प्राप्त कर लेने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध रासुका, गुण्डा ऐक्ट तथा गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

भू-माफियाओं तथा ठेकेदार माफियाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी स्तर पर न कोई सुरक्षा प्रदान की जायेगी और न ही हथियार के लाइसेंस दिये जायेंगे।

पुलिस में सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त कराने के उद्देश्य से जनपदों में निरीक्षण प्रभारी एवं थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 30 प्रतिशत और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज के अन्य सभी वर्गों को मिलाकर 70 प्रतिशत पदों पर तैनाती करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में धर्म के नाम पर दंगा-फसाद नहीं होने दिया जायेगा और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

आतंकवादी गतिविधियों उदाहरणतः नक्सलवाद, माओवाद, आई0एस0आई0 तथा तस्करी के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं।

महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार तथा अनादर एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाते हुये ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाया जायेगा ताकि वे रात्रि के समय भी घरों के बाहर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें।

अपराधियों के मन में जब तक अदालतों, पुलिस तथा जेल का भय नहीं होगा, तब तक कानून व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। जेल प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि कारागार विभाग, प्रमुख सचिव, गृह के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। इससे पुलिस व जेल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। कठोर नियंत्रण के लिए कुछ चयनित जेलों में वरिष्ठ एवं सुयोग्य पुलिस अधिकारियों को डी0आई0जी0 जेल के रूप में तैनात किया जा रहा है।

जेलों में मोबाइल फोन जैमर व सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने के लिए पांच करोड़ रुपये (5 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है। कतिपय जनपदों में विद्यमान जेल शहर की आबादी के बीच में आ गये हैं। ऐसे जनपदों में नई जेलों का निर्माण शहर की आबादी के बाहर कराया जायेगा। इसके लिए बजट में पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष 2007-08 के बजट में पुलिस विभाग के लिये तीन हजार पांच सौ नौ करोड़ रुपये (3,509 करोड़ रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये एक सौ अस्सी करोड़ रुपये (180 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्ति में अपनी राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से व्यापारकर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्रीकर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है।

व्यापार कर

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में व्यापार कर का सर्वाधिक योगदान है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व के 60 प्रतिशत अंश की प्राप्ति केवल व्यापारकर से होती है।

वर्ष 2007-08 में व्यापारकर से लगभग सत्रह हजार तीन सौ चौदह करोड़ रुपये (17,314 करोड़ रुपये) की प्राप्ति अनुमानित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिये कुशल कर संग्रहण के साथ-साथ करापवंचन पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाना आवश्यक है।

करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग में 83 सहायता केन्द्र, 10 रेलवे सहायता केन्द्र, 55 सचल दल इकाइयां तथा 38 विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयां कार्यरत हैं।

स्टाम्प एवं निबंधन

स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से चार हजार दो सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (4,276 करोड़ रुपये) की प्राप्तियां अनुमानित हैं।

निबन्धन विभाग द्वारा पक्षकारों के मध्य विभिन्न प्रकार के लेख-पत्रों का निबन्धन किया जाता है। इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, आधुनिक एवं सरल बनाने तथा जन सामान्य को और अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु विभागीय कार्य कम्प्यूटर से कराये जायेंगे।

आबकारी

वित्तीय वर्ष 2007-08 में आबकारी शुल्क से चार हजार एक सौ बानवे करोड़ रुपये (4,192 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण करना आवश्यक है। यह पाया गया है कि आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व की कमी का मुख्य कारण प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा बिना आबकारी शुल्क अदा किये हुये अपनी उत्पादित मदिरा को नकली होलोग्राम लगाकर बाहर भेजना रहा है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आसवनियों से थोक विक्रेता तक मदिरा पहुंचाने का कार्य किसी सहकारी संस्था अथवा सरकारी निगम से कराया जायेगा।

परिवहन

वर्ष 2007-08 में मोटर वाहन तथा यात्रीकर से एक हजार पांच सौ तैंतीस करोड़ रुपये (1,533 करोड़ रुपये) की प्राप्तियां अनुमानित हैं।

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के मध्य सड़क परिवहन, जो पिछले कई महीनों से अवरूद्ध पड़ा हुआ था, को हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास कर फिर से प्रारम्भ कराया गया।

वर्ष 2007-08 में दो हजार नयी बसें क्रय करने का लक्ष्य है।

मनोरंजन कर

वर्ष 2007-08 में मनोरंजन कर से प्राप्तियों का लक्ष्य एक सौ सैंतीस करोड़ रुपये (137 करोड़ रुपये) रखा गया है।

इस वित्तीय वर्ष में मनोरंजन कर विभाग की मुख्य प्राथमिकता बन्द सिनेमा घरों को पुनः संचालित कराने, अधिक से अधिक संख्या में मल्टीप्लेक्स संचालित कराने तथा मनोरंजन के साधनों में जनता को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की होगी।

ग्राम्य विकास

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये कई रोजगारपरक योजनायें तथा ग्रामीण अवस्थापना के विकास की योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।

डा0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेगें। इस योजना के लिये बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, जो 39 जनपदों में चलायी जा रही है, को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जायेगा। वर्ष 2007-08 के बजट में इस योजना के राज्यांश के लिये दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2007-08 में 31 जनपदों में चलाई जायेगी, जिसके लिये एक सौ नब्बे करोड़ रुपये (190 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में लगभग तीन लाख परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये छियानवे करोड़ रुपये (96 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायतीराज

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय मात्र एक हजार दो सौ रुपये (1,200 रुपये) की अनुमन्य सहायता को राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में बढ़ाकर एक हजार पांच सौ रुपये (1500 रुपये) किया गया है। प्रदेश को वर्ष 2012 तक खुले में शौचमुक्त प्रदेश घोषित करने की योजना है।

सहकारिता

वर्ष 2007-08 में सहकारी बैकों के माध्यम से अल्पकालिक फसली ऋण के वितरण हेतु दो हजार दो सौ अस्सी करोड़ रुपये (2,280 करोड़ रुपये) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य एक हजार एक सौ करोड़ रुपये (1,100 करोड़ रुपये) है।

वर्ष 2007-08 में उर्वरक वितरण हेतु तीस लाख पचास हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य तेरह लाख तैंतीस हजार मीट्रिक टन है।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसली ऋण 6 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2007-08 के बजट में ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत सड़सठ करोड़ रुपये (67 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

हमारी सरकार द्वारा पुरानी चीनी नीति, जिसका वास्तविक लाभ गन्ना उत्पादकों को नहीं मिला, को निरस्त करते हुए नई चीनी नीति बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे न केवल गन्ना किसानों को लाभ प्राप्त होगा अपितु चीनी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

हमारी सरकार ने अनवरत घाटा देने वाली सहकारी क्षेत्र व राज्य चीनी निगम की रुग्ण चीनी मिलों के निजीकरण का सैद्धान्तिक निर्णय लिया है ताकि राज्य के वित्तीय संसाधन अनुत्पादक मिलों पर व्यर्थ न जायं।

दुग्ध विकास

डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना, जो 40 जनपदों में चलायी जा रही है, को समस्त 70 जनपदों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। डेरी सेक्टर में लगभग एक लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में लगभग साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग सवा दो लाख निःशुल्क बोरिंग कराये जाने का लक्ष्य है।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2007-08 में लगभग एक सौ अठहत्तर करोड़ रुपये (178 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं दुर्लभ क्षेत्रों में 14 नलकूप निर्माण कराने का लक्ष्य है।

ऊर्जा

वर्तमान में बिजली की भारी कमी की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन योजनायें बनायी गयी हैं।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में 1980 मेगावाट एवं करछना में 1,320 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह निजी क्षेत्र में स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। इसी प्रकार दोपहा, अनपरा में भी निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन गृह लगाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

एन0टी0पी0सी0 के साथ 1,320 मेगावाट क्षमता का एक नया विद्युत गृह संयुक्त उपक्रम के रूप में लगाने की भी योजना बनाई है। इस प्लाण्ट से पूरी बिजली उत्तर प्रदेश को दिलाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

एन0टी0पी0सी0 द्वारा टाण्डा परियोजना के विस्तार के रूप में 1,320 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना से भी अधिकतम बिजली उत्तर प्रदेश को दिये जाने का अनुरोध किया है।

इन सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9,209 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं सेतु

वित्तीय वर्ष 2007-08 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए लगभग छः हजार तीन सौ एक करोड़ रुपये (6,301 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था पांच हजार पचहत्तर करोड़ रुपये (5,075 करोड़ रुपये) से 24 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष सड़क एवं सेतु परियोजाओं के लिए लगभग दो हजार एक सौ अड़तालिस करोड़ रुपये (2,148 करोड़ रुपये) की नई योजनायें ली गयी हैं।

सिंचाई

हमारी सरकार ने नहरों की सफाई कराकर अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की है। इसके लिए विभागीय बजट के अतिरिक्त विभिन्न रोजगारपरक योजनओं से उपलब्ध धनराशि का भी उपयोग किया जायेगा।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई, राजकीय लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास परियोजनाओं के लिए लगभग दो हजार तिहत्तर करोड़ रुपये (2,073 करोड़ रुपये) की व्यवस्था तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए लगभग छः सौ करोड़ रुपये (600 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आठ परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ कई नई परियोजनायें जैसे-कचनौधा बांध, भौरट-उटारी बांध, अर्जुन सहायक पोषक नहर और विराट सागर परियोजनायें प्रस्तावित हैं।

आवास

वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु आवास एवं शहरी नियोजन योजनाओं के लिए लगभग पांच सौ पांच करोड़ रुपये (505 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जो पिछले वर्ष की बजट व्यवस्था से पांच गुने से भी अधिक है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए नई शहरी आवास नीति बनायी जायेगी। सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में विकसित योजनाओं में समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों हेतु न्यूनतम 20-25 प्रतिशत विकसित भूमि आरक्षित किये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रदेश की लगभग सात हजार मलिन बस्तियों के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल, जल प्रवाहित शौचालय, स्वास्थ्य, आश्रय एवं स्वरोजगार आदि सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु योजनायें संचालित की जा रही हैं।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की कुप्रथा को जड़ से समाप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 में एक लाख शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में लगभग साढ़े छः लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

वित्तीय वर्ष 2007-08 में तीस हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 60 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत पांच हजार बुनकरों को रोजगार देकर लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

वित्तीय वर्ष 2007-08 में छः हजार नई ग्राम उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अड़तालिस हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। योजना के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भी समुचित रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

"ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम" के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में दो हजार इकाइयों की स्थापना कराकर छत्तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जापानी इन्सेफ्लाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए 11 अतिसंवेदनशील जनपदों को चिन्हित करते हुए टीकाकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

इस वर्ष 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 674 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को उपचार की सुविधा देने के लिए विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं

15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की योजना है। साथ ही प्रदेश में 4,512 उप केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जायेगा।

प्रदेश के अतिदूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा देने के लिए 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संविलीन करते हुए पूर्व की भांति दन्त संकाय के रूप में स्थापित किया गया है। शताब्दी अस्पताल के भवन को शीघ्र पूरा कराकर इसे जन उपचार के लिए खोल दिया जायेगा।

भवनों के निर्माण तथा उपकरणों आदि की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में पांच सौ पन्द्रह करोड़ रुपये (515 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा

इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग नौ हजार छिहत्तर करोड़ रुपये (9,076 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है जो पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था सात हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये (7,135 करोड़ रुपये) से 27 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2007-08 में असेवित बस्तियों में आठ सौ तेरह नये प्राथमिक विद्यालय तथा लगभग साढ़े चार हजार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे। बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए अड़तीस हजार से अधिक कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।

डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी के निर्माण के लिए लगभग बत्तीस करोड़ रुपये (32 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान के लिए लगभग एक हजार चार सौ अस्सी करोड़ रुपये (1480 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

जिन विकास खण्डों में मानक से कम माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां मानक के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा परिषदीय मानक/शर्तों के अनुसार माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की नई योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 में दस करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सात करोड़ रुपये (7 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

उच्च शिक्षा

शैक्षिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे विकास खण्डों, जिनमें कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग चार हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये (4,986 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है। इसमें लगभग दो हजार दो सौ सत्तर करोड़ रुपये (2,270 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित हैं।

विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण अवस्थापना, कृषि तथा लाभार्थी आधारित योजनायें संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के सबसे पिछड़े तबके का सम्पूर्ण विकास सम्भव हो सके।

इस वर्ष चयनित होने वाली डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सड़कों तथा लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था रखी गयी है।

डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सड़कों तथा लघु सेतुओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था भी की गयी है।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु तीन सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (377 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए "एकीकृत विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग और कृषि उत्थान और रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इस योजना के लिए सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र एवं छात्राओं को वर्ष 2007-08 में लगभग एक सौ तेईस करोड़ रुपये (123 करोड़ रुपये) की छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

मदरसों में गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों के अध्यापन हेतु मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग बयालिस करोड़ रुपये (42 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के छात्रों को अधिक से अधिक शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से चलायी जा रही छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग आठ सौ तिरसठ करोड़ रुपये (863 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जिससे दो करोड़ से कुछ अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में चौवन करोड़ रुपये (54 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में वादों के निस्तारण में गति लाने हेतु प्रथम चरण में 23 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

वन

वर्तमान में प्रदेश का 9.06 प्रतिशत भू-भाग वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। अतः वनावरण एवं वृक्षावरण के विस्तार की आवश्यकता है।

जन सहभागिता के द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण विस्तार हेतु ऑपरेशन ग्रीन नामक नई योजना प्रारम्भ की गयी है। विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड में बांस रोपण की नई विशेष योजना तथा पौधशाला प्रबन्धन की नई योजना को विशेष महत्व दिया गया है। वन क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु सर्वे व सीमांकन नामक नई योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वन क्षेत्र की सीमा पर सीमांकन कराकर सीमा स्तम्भ स्थापित किया जायेगा।

इन नई योजनाओं के अन्तर्गत झादी ताल संरक्षण एवं सुहेली नदी को गहरा कर दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा को जल प्लावित होने से बचाने सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है। वृक्षावपण के विस्तार हेतु 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना प्रारम्भ की जा रही है। वन क्षेत्र के समीप रहने वाली आबादी एवं वन्य जन्तु के बीच में बढ़ते द्वन्द्व की समस्या के निराकरण हेतु मानव पशु संघर्ष के निवारण की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है।

इस वर्ष वन की योजनाओं के लिए चार सौ उन्नीस करोड़ रुपये (419 करोड़ रुपये) का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

पर्यावरण

पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपघटित स्थलों, जलराशियों, पार्कों एवं अन्य चयनित स्थलों के पारिस्थितिकीय विकास के सम्बन्ध में शोध

कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। लघु उद्योगों में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु दक्ष एवं कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के विकास हेतु शोध को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

राजस्व

ग्राम सभा तथा ग्राम सीलिंग की अवशेष कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन गरीब पात्र व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर वितरित किया जायेगा।

प्रदेश के मण्डलों, जनपदों तथा तहसीलों के राजस्व भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में लगभग एक सौ बावन करोड़ रुपये (152 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान सृजित नये जनपदों और मण्डलों को पिछली सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इन नवसृजित जनपदों और मण्डलों को पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। इन जनपदों और मण्डलों में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जायेगा।

नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि, आवास स्थल, मछली पालन, कुम्हारी कला स्थल आवंटन के कार्यक्रम सघन रूप से चलाये जा रहे हैं।

2007-2008 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगी।

प्राप्तियां

- वर्ष 2007-08 में निन्यानवे हजार सात सौ नौ करोड़ उन्तीस लाख रुपये (99,709.29 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में चौहत्तर हजार सत्रह करोड़ सत्तर लाख रुपये (74,017.70 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा पच्चीस हजार छः सौ इक्यानवे करोड़ उनसठ लाख रुपये (25,691.59 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2007-08 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेतर राजस्व का अंश बासठ हजार एक सौ पांच करोड़ छब्बीस लाख रुपये (62,105.26 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश सत्ताइस हजार चार सौ उन्यासी करोड़ इक्कीस लाख रुपये (27,479.21 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं।

व्यय

- वर्ष 2007-08 में कुल व्यय एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ इकतालिस लाख रुपये (1,00,911.41 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में सड़सठ हजार आठ सौ इकहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रुपये (67,871.38 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तैंतीस हजार चालीस करोड़ तीन लाख रुपये (33,040.03 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2007-08 के बजट में तीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ बीस लाख रुपये (30,777.20 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2007-08 में घाटा एक हजार दो सौ दो करोड़ बारह लाख रुपये (1,202.12 करोड़ रुपये) है।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2007-08 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए एक हजार आठ सौ तेईस करोड़ आठ लाख रुपये (1,823.08 करोड़ रुपये) लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2007-08 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम छः सौ बीस करोड़ छियानवे लाख रुपये (620.96 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2007-08 में प्रारम्भिक शेष पांच हजार चार सौ इक्यासी करोड़ सैंतालीस लाख रुपये (5,481.47 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष छः हजार एक सौ दो करोड़ तैंतालीस लाख रुपये (6,102.43 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, समाज में आर्थिक समानता प्रदेश और देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। हमारा प्रयास होगा कि देश में पूंजी का विकास हो न कि पूंजीपतियों का। आर्थिक सुधार और प्रगति का सीधा लाभ आम जनता को भी मिलना चाहिए। महान मानवतावादी व संविधान रचयिता बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर कहा करते थे कि इतिहास गवाह है कि जहां-जहां नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच मतभेद उभरे हैं वहां हर बार अर्थशास्त्र की जीत हुई है। इसे सूत्र मानते हुये प्रस्तुत बजट को न्याय, विकास और अनुशासन का वाहक बनाने का प्रयास किया गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार बजट प्रावधानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उन रुपयों का पाई-पाई सही तरीके से खर्च कराने का सख्ती से प्रयास करेगी।

विकास और सुरक्षा का मूलभूत आधार बेहतर प्रशासनतन्त्र है, इसलिए सरकार प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ एवं पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रशासनतन्त्र देने के लिए काम करेगी। प्रशासनतन्त्र को पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ एवं गैर-राजनीतिक तथा जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों की मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकी हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री शेखर अग्रवाल और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करती हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूं कि उन्होने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करती हूं। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2007-08 का प्रदेश का बजट एवं दो मास का लेखानुदान प्रस्तुत करती हूं।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-2 बजट के साथ प्रस्तुत हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के माह अगस्त व सितम्बर, 2007 के व्यय हेतु लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2007-2008 के माह अगस्त व सितम्बर, 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 29 जून, 2007 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय, जो 1 खरब, 32 अरब, 61 करोड़, 45 लाख, 37 हजार रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष-

लेखानुदान की प्रतियां वितरित कर दी जाय।

(लेखानुदान की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे दो मिनट का अवसर तो दें।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप सहयोग करें। इस पर चर्चा नहीं होती है कृपया बैठ जायं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2007-2008 के माह अगस्त व सितम्बर, 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो 29 जून, 2007 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय, जो 1 खरब, 32 अरब, 61 करोड़ 45 लाख, 37 हजार रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित करवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007

01 अप्रैल, 2007 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये-

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2007 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2007-2008 के लिए 16949,16,73,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 16949,16,73,000 रुपये (सोलह हजार नौ सौ उन्चास करोड़ सोलह लाख तिहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	81890	167	82057
		पूंजी :	583	--	583

1	2			3	
02	आवास विभाग	राजस्व :	575209	--	575209
		पूंजी :	223050	8737	231787
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	122411	67	122478
		पूंजी :	7083	--	7083
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	44141	--	44141
		पूंजी :	--	--	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	71183	--	71183
		पूंजी :	--	--	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	47028	--	47028
		पूंजी :	--	--	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	558567	--	558567
		पूंजी :	197834	--	197834
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	124291	--	124291
		पूंजी :	15808	--	15808
09	उर्जा विभाग	राजस्व :	4222831	28832	4251663
		पूंजी :	10468042	--	10468042
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	261541	879	262420
		पूंजी :	4750	--	4750
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2450818	202	2451020
		पूंजी :	293237	--	293237
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	218858	--	218858
		पूंजी :	--	--	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास)	राजस्व :	2342871	167	2343038
		पूंजी :	1215807	--	1215807
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	2238579	--	2238579
		पूंजी :	758488	--	758488

1	2			3	
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	434525	230	434755
		पूंजी :	166873	--	166873
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	191545	3	191548
		पूंजी :	3333	--	3333
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	91974	--	91974
		पूंजी :	--	--	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	218808	10230	229038
		पूंजी :	73088	18516	91604
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	6741	--	6741
		पूंजी :	--	--	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	--	25359	25359
		पूंजी :	--	542	542
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	245159	296681	541840
		पूंजी :	11380691	2500008	13880699
22	खेल विभाग	राजस्व :	34137	17	34154
		पूंजी :	--	--	0
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	128074	25	128099
		पूंजी :	26667	--	26667
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	443439	--	443439
		पूंजी :	152500	--	152500
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	264148	133	264281
		पूंजी :	71549	--	71549
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	5567651	1102	5568753
		पूंजी :	279258	56	279314
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	259631	--	259631
		पूंजी :	11117	--	11117

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	137659	--	137659
		पूंजी :	--	--	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	7446	7446
		पूंजी :	--	--	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	3356	--	3356
		पूंजी :	--	--	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	1427218	--	1427218
		पूंजी :	--	--	0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	2425317	167	2425484
		पूंजी :	1157060	--	1157060
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	387462	--	387462
		पूंजी :	24347	--	24347
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	195541	4	195545
		पूंजी :	21302	--	21302
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	886948	250	887198
		पूंजी :	125000	--	125000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	387319	117	387436
		पूंजी :	--	--	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	3668427	--	3668427
		पूंजी :	428708	--	428708
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	31228	--	31228
		पूंजी :	102113	--	102113
39	भाषा विभाग	राजस्व :	9927	--	9927
		पूंजी :	--	--	0

* भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या

1	2		3		
40	नियोजन विभाग	राजस्व	166262	--	166262
		पूंजी	--	--	0
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	93401	--	93401
		पूंजी	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	801427	135883	937310
		पूंजी	92074	--	92074
43	परिवहन विभाग	राजस्व	74639	--	74639
		पूंजी	8000	--	8000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	17490	--	17490
		पूंजी	114679	--	114679
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	155440	--	155440
		पूंजी	136667	--	136667
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	6802	--	6802
		पूंजी	--	--	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	274793	17	274810
		पूंजी	30199	--	30199
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	452027	34	452061
		पूंजी	17570	--	17570
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	3148585	167	3148752
		पूंजी	41817	--	41817
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	415408	267	415675
		पूंजी	219885	--	219885
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	556717	522417	1079134
		पूंजी	--	--	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1402141	1446	1403587
		पूंजी	34792	175	34967

1	2			3	
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	2585	--	2585
		पूंजी :	17	--	17
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	1112034	67	1112101
	(अधिष्ठान)	पूंजी :	--	--	0
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	45100	3757	48857
	(भवन)	पूंजी :	75917	--	75917
56	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	41667	--	41667
	(विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	383333	--	383333
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	16667	--	16667
	(संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	442833	--	442833
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	2137829	83	2137912
	(संचार साधन-सड़कें)	पूंजी :	4250488	9167	4259655
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	113670	--	113670
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	163265	--	163265
60	वन विभाग	राजस्व :	377841	228	378069
		पूंजी :	319636	--	319636
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व :	6225180	23248313	29473493
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	471675	9816725	10288400
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व :	6471688	2045	6473733
	भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी :	--	--	0
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व :	157826	67	157893
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	21372	--	21372
64	वित्त विभाग (राज्य	राजस्व :	1286	--	1286
	लाटरी)	पूंजी :	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व :	138193	--	138193
	परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	155	--	155

1	2			3	
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	2253	192580	194833
		पूंजी :	68	--	68
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	31332	741	32073
		पूंजी :	500	--	500
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	95971	1034	97005
		पूंजी :	1273	--	1273
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	79636	--	79636
		पूंजी :	--	--	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	14755741	--	14755741
		पूंजी :	--	--	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	4692150	45	4692195
		पूंजी :	35799	--	35799
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	1311150	--	1311150
		पूंजी :	62500	--	62500
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	111274	--	111274
		पूंजी :	17842	--	17842
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	167625	--	167625
		पूंजी :	1	--	1
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	--	--	0
		पूंजी :	39311	--	39311
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	371685	--	371685
		पूंजी :	--	--	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1798184	--	1798184
		पूंजी :	18573	--	18573
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	3078552	--	3078552
		पूंजी :	--	--	0

1	2			3	
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	48348	2	48350
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी :	15621	--	15621
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	28265	1984	30249
		पूंजी :	4167	--	4167
83	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	4130556	--	4130556
	(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	पूंजी :	4179264	--	4179264
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	949	--	949
		पूंजी :	--	--	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	4026	--	4026
		पूंजी :	--	--	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	86508	--	86508
		पूंजी :	--	--	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	44375	2	44377
		पूंजी :	733	--	733
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	4602	--	4602
	(निदेशालय)	पूंजी :	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	394207	32451	426658
	(व्यापारकर)	पूंजी :	22891	--	22891
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	96419	--	96419
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	--	--	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	136237	1	136238
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	1667	--	1667
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	36453	1	36454
		पूंजी :	113650	--	113650
95	सिंचाई विभाग	राजस्व :	1591921	833	1592754
	(अधिष्ठान)	पूंजी :	274332	--	274332

1	2		3		
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	2034144	--	2034144
		पूंजी :	3447970	6667	3454637
	योग	राजस्व :	90345713	24516543	114862256
		पूंजी :	42268824	12360593	54629417
	महायोग		**132614537**	**36877136**	**169491673**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विधेयक के पारण में तीन रीडिंग होती हैं आपने प्रथम दो पर मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया अब तो अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2007 की बैठक में पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 मार्च, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9, मद संख्या-10, मद संख्या-11, मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 ††

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज 29 जून को.....

---

† दिनांक 20-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 24-7-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा एक दल विशेष से प्रस्ताव मांगे जाने सम्बन्धी सूचना की जानकारी

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पूरा सदन आपको देख रहा है जरा आप भी इनकी तरफ देख लीजिए। मान्यवर, मैं बहुत देर से कह रहा हूं, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उठाऊंगा तब ही जब आपकी अनुमति हो जायेगी। मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि जब विनियोग विधेयक पारित हो रहा था तो मैं कुछ कहना चाह रहा था और आपने कहा था कि पहले इसको पारित हो जाने दीजिए फिर बाद में बोलिएगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री हुकुम सिंह-

यह तो हमको भी पता है कि विनियोग विधेयक जब पेश होता है तो उस पर बहस नहीं होती है और उसी परम्परा को मानते हुए जब उस पर विचार का समय आता है तो एक आध मिनट में कुछ पूछा जा सकता है। मान्यवर, आप उस आसन पर बैठे हैं। आपकी विद्वता पर, आपकी निष्पक्षता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा का रहा हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं वे सिर्फ इतना बता दें खड़े होकर कि आज जो चर्चा चल रही है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को फुर्सत मिल जाय तो कहूं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी, सुन लीजिए। एक चर्चा सारे सदन से सम्बन्धित है। वह यह है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के कुछ प्रस्ताव मांगे गये हैं। और यह बहुत अच्छी धनराशि के हैं। चर्चा यह है कि यह प्रस्ताव केवल एक दल विशेष के सदस्यों से मांगे गये हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि यह समता मूलक समाज को स्थापित करने की बात बाहर ही होगी कि यहां भी होगी। अगर समता की बात यहां सदन में नहीं होगी तो फिर सदन से बाहर कैसे होगी ? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के प्रस्ताव मांगे गये हैं ? यह मैं ही नहीं कह रहा हूं तमाम दलों के माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। माननीय सदस्य गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रश्न उठा रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सरकार पक्ष की तरफ से स्पष्टीकरण हो गया है। अब किस लिए ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनके अधिकारियों ने ही बताया है कि एक दल विशेष के प्रस्ताव लिए जायेंगे। और किसी के नहीं लिये जायेंगे। आपने कह दिया कि ऐसा नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि किसी से भी इस तरह के प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं। माननीय सदस्य स्वतः प्रस्ताव देते हैं और उसका परीक्षण होने के बाद ही कार्यवाही होती है।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, बात स्पष्ट हो गयी है। सरकार ने कह दिया कि इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं और सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

पहली सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की, खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का हाटमिक्स प्लान्ट से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री डी0 पी0 यादव जी की, बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव जी की, गोरखपुर सौनौली राष्ट्रीय मार्ग पर मसेहरा पुल की मरम्मत/निर्माण कार्य होने के कारण आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की, आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत शहर की मुख्य क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की, वह नहीं है इनकी सूचना को निरस्त किया जाता है। इस सूचना की जगह डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की सूचना को ले लिया गया है।

छठी सूचना श्री हुकुम सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लाजपतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद में वरिष्ठतम शिक्षकों को ही प्राचार्य नियुक्त करने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह जी की, झांसी की गरौठा तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय में एण्टी रैबीज सुई की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री शिव शंकर की बलिया के, बांसडीह क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित कतिपय गांव के लोगों को पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री भोला की, आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरदह नन्दाव से दयालपुर तक मंगई नदी की खुदाई और सफाई कराने के सम्बन्ध में है।

जिन निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

1-श्री राम विशुन आजाद,

2-श्री सुन्दर सिंह,

3-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही।

खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का हाटमिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अपने क्षेत्र धौरहरा जनपद खीरी की निम्न समस्या के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

1-गन्ना ऐरा मिल मार्ग से वाया सरैंया नौरंगपुर होते हुए हसनपुर कटौली तक बनी पक्की सड़क पूर्ण ध्वस्त है। लाखों किसानों को गन्ना मिल तक गन्ना ले जाने में कठिनाई होती है। अतः 22 कि0मी0 रोड हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने की मांग करता हूं।

2-ईसानगर से खमरिया मार्ग पर तीरथसिंह के कारखाने के पास से ग्राम रामपुर होते हुए वाया वेल्तुआ ग्राम होकर संकल्प ग्राम मूड़ी तक 13 कि0मी0 हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने हेतु।

3-उपरोक्त ऐरा गन्ना मिल मार्ग से ईसानगर मार्ग के बीच वहानाला पुल व इसी मार्ग पर नौरंगपुर दोनों लकड़ी पुल ध्वस्त है। 20 वर्ष से टूटे हैं लाखों लोगों को अपना गन्ना ले जाने में 30 कि0मी0 चक्कर लगाना पड़ता है। अतः नया पुल निर्माण हेतु।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

[अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र संख्या 26 सहसवान जनपद बदायूं में पूर्व सरकार द्वारा विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने की घोषणा किये जाने के बावजूद भी आज तक इस क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है जिससे क्षेत्रीय नागरिकों में रोष व्याप्त है और बिजली न मिल पाने से छात्रों के शिक्षा एवं कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जबकि सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र को भरपूर विद्युत उपलब्ध करायी जाय।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सं0-25 सहसवान में सरकार द्वारा विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय मार्ग पर महेसरा पुल की मरम्मत/निर्माण कार्य होने के कारण आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राज्य मार्ग के कि0मी0 86/1 पर महेसरा पुल का मरम्मत/निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त मार्ग को अवरुद्ध करके मरम्मत/निर्माण कार्य किया जा रहा है। आवागमन हेतु कोई बाई पास या वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने से आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के कारण जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ा है। जनहित में आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था (बाई पास) करना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत शहर की मुख्य क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ अन्तर्गत शहर बाईपास से चौक होते हुए नरौली तक का जो मार्ग है वह पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत आता है, वही शहर की मेन रोड है जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस सड़क हेतु आज तक कोई

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धन स्वीकृत नहीं किया गया। बीच-बीच में जो सड़क टूट गयी थी उसकी मरम्मत की गयी मरम्मत के नाम पर जो गडढ़े थे उसे भरा तो गया उसके बावजूद भी सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है जिस कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है इस सड़क की कोई विशेष मरम्मत नहीं की गयी। मेन रोड होने के कारण 24 घण्टे बड़े-बड़े वाहन हमेशा चलते रहते हैं इस रोड पर 10 चक्के का ट्रक चलता है।

अतः लोक महत्व के एवं अति अविलम्बनीय प्रश्न पर लोक निर्माण विभाग को तत्काल निर्देशित किया जाय कि उक्त मार्ग बनवाने की व्यवस्था करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के सोहावल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकृत होने के बाद भी डाक्टरों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सोहावल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोहावल स्थापित है जिसे विगत शासन में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया था उच्चीकृत की दिशा में प्रा0 स्वा0 केन्द्र की इमारत बन चुकी है लेकिन इसमें डाक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की न तो तैनाती की गयी और न तो उच्चीकृत की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं इस बात को लेकर जनता में घोर असन्तोष है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है बरसात का दिन तमाम तरह की मौसमी बीमारियों का प्रकोप है जिसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवायें नगण्य हैं वहां के जो डाक्टर हैं वह भी नियमित रूप से नहीं आ रहे है। मान्यवर, सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सोहावल प्रा0 स्वा0 केन्द्र जो उच्चीकृत किया गया है वहां पर डाक्टरों की तैनाती कर्मचारियों की तैनाती अतिरिक्त बेड की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराते हुए जनहित के काम में प्राथमिकता देकर अस्पताल की सेवायें शुरू करायी जायें।]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लाजपतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद में वरिष्ठतम शिक्षकों को ही प्राचार्य नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, लाजपत राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। उक्त महाविद्यालय में प्राचार्य का पद 30 जून, 2000 से रिक्त है। शिक्षा आयोग द्वारा चयन न होने के परिणामस्वरूप उक्त पद पर महाविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक की नियुक्ति का प्राविधान है, परन्तु नियमों की अनदेखी करते हुए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक कनिष्ठ शिक्षक जो वरियता क्रम में 22वें नम्बर पर थे तथा वर्तमान में 11वें स्थान पर हैं, को प्राचार्य का कार्यभार दिया गया। इस सम्बन्ध में समय-समय पर विश्वविद्यालय को ज्ञापन दिये गये एवं विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रबन्धतन्त्र को इस आशय के निर्देश जारी किये कि संगत नियमों का पालन किया जाय तथा प्राचार्य का कार्यभार महाविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को दिया जाये। बार-बार अनुस्मारक के बावजूद प्रबन्धतन्त्र ने विश्वविद्यालय के निर्देश का पालन नहीं किया। कनिष्ठ शिक्षक के प्राचार्य के पद पर रहने से समस्त शिक्षक वर्ग एवं छात्रों में रोष व्याप्त है। शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है तथा छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

यह प्रश्न छात्र-छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लोक महत्व का है, सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति के निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को अविलम्ब प्राचार्य का कार्यभार दिलाना सुनिश्चित किया जाये।]

झांसी की गरौठा तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद-झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा की तहसील गरौठा में आजादी के बाद से आज तक किसी राजकीय महाविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। झांसी शहर मुख्यालय से तहसील की दूरी 90 कि0मी0 है। क्षेत्र में महाविद्यालय न होने के कारण पूरी तहसील के रहने वाले गरीब किसानों के लड़के व लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजकीय महाविद्यालय के निर्माण की मांग करता हूं।]

वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय में एण्टी रैबीज सुई की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[अध्यक्ष महोदय, वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय में सिर्फ वाराणसी के ही नहीं बल्कि आस-पास के कई जिलों तथा प्रदेश के गरीब और असहाय मरीज चिकित्सार्थ आते हैं लेकिन वहां पर कुत्ता काटने व अन्य विषैले जानवरों के काटने पर लगायी जाने वाली एन्टी रैबीज इन्जेक्शन अनुपलब्ध रहता है जिससे अनेकों असहाय गरीब प्रतीक्षा नहीं कर पाते और वे बाहर से मंहगी इन्जेक्शन खरीद कर अपनी जीवन रक्षार्थ लगाने को विवश

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य चिकित्साधिकारियों का कहना रहता है कि इन्डेन्ट भेजने के बाद भी शासन द्वारा आपूर्ति नहीं किये जाने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार जब जानवरों द्वारा काटे जाने का विशेष मौसम आता है तो मरीजों की संख्या के अनुपात में इंजेक्शन अनुपलब्ध रहता है जिससे हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाया करती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि मण्डलीय चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए एन्टी रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता बनाये रखने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक उपाय अमल में लायी जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं।]

बलिया के, बांसडीह क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित कतिपय गांव के लोगों को पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव शंकर-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-बांसडीह-209, जनपद बलिया में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित ग्राम-सभा भोपालपुर अलख दियरी, असमानपुर के लोगटी एस0 बन्धे भोपालपुर पर झोपड़ी डालकर बंजारे की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इनके पुनर्वास हेतु जमीन की व्यवस्था की जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरदह नन्दाव से दयालपुर तक मंगई की खुदाई और सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला-

[अध्यक्ष महोदय, मगई नदी विधान सभा क्षेत्र सरायमीर-199 के बीचो-बीच से होकर गुजरती है जिसमें शारदा सहायक खण्ड 23 और 46 दोनों के दर्जनों माइनर गिरते हैं जिसके रेत के पटाव से नदी का स्वरूप ही बदल गया है और काफी समतल हो गया है। पानी का बहाव सुचारु रूप से न हो पाने के कारण बरसात के समय में बाढ़ का रूप बहुत ही विनाशकारी रूप ले लेता है जिसके परिणाम स्वरूप हर साल मेरे क्षेत्र के पचासों गांव प्रभावित होते हैं। जन, धन का काफी नुकसान होता है। दोनों फसल में हजारों हजार कुन्टल फसल की बरबादी होती है। मेरे क्षेत्र की बहुत ही ज्वलंत समस्या है जिसकी खुदाई व सफाई कराना जनहित में नितान्त आवश्यक है जिसके चलते लाखों लाख किसान प्रभावित हैं। किसान बीसों साल से इस समस्या को उठाता

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चला आ रहा है कई बार सर्वे भी हुआ कुछ आंशिक रूप से सफाई भी हुई सरकारों के बदलाव के साथ-साथ काम बाधित होता रहा जिसके चलते नदी की पूरी सफाई व खुदाई नहीं हो पायी।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नदी का सर्वे कराकर खुदाई व सफाई का कार्य कराने का कष्ट करें।]

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो नियम-301 में कोई सूचना नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना निरस्त हो गयी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैंने कोई सूचना नहीं दी थी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत आपने सूचना दी थी मैंने उसको नियम-301 में परिवर्तित कर दिया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब सही है। एक मा0 सदस्य अवधेश प्रसाद जी उपस्थित नहीं हैं। उनकी सूचना को निरस्त कर दिया गया हैं इस सूचना की जगह डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की सूचना को स्वीकार कर लिया गया है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत केवल एक सूचना प्राप्त हुई है जो श्री राघव लखन पाल शर्मा की है। इन्होंने नगर विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह विषय नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

एक मा0 सदस्य-

दो मिनट बोलने का अवसर दे दें।

श्री सतीश महाना-

नये सदस्य हैं इनको समय दे दें।

सत्यमेव जयते विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के बारे में जानते हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, नये सदस्य बोलना चाहते हैं, इन्हें अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य क्या चाहते हैं।

नगर विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राघव लखन पाल-

मान्यवर, जिलों के निर्माण के समय ही वी0आई0पी0 स्टेटस दिया जाता है, सहारनपुर जनपद को भी वी0आई0पी0 स्टेटस दिया गया था। जिसके कारण वहां 24 घण्टे विद्युत की सप्लाई दी जाती थी। अभी हाल में एक आदेश दिया गया कि देहात क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति बनाये रखी जाए, भले ही नगर क्षेत्र में कटौती की जाए। मान्यवर, इस कटौती के कारण हमें अपने दायित्व निर्वहन करने में बहुत कठिनाई आ रही है। हमें विधान सभा की कार्यवाही के लिये तैयारी भी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने इस सूचना को नियम-300 में दिया था। मान्यवर, यह पक्षपात का एक नमूना है। मेरा आपसे निवदेन है कि सहारनपुर नगर को भी 24 घण्टे विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए। सहारनपुर जिला ही नहीं, मण्डल मुख्यालय भी हैं आप इसके लिये निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है, सरकार ने भी आपकी समस्या को सुन लिया है। वैसे मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है।

श्री राघव लखन पाल-

मान्यवर, आप खुद देखें, यदि नगर को छोड़कर देहात को ज्यादा महत्व दिया जायेगा, हम नहीं कहते कि देहात को महत्व नहीं देना चाहिए लेकिन नगर को भी 24 घण्टे विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है।

नियम-301 में श्री अवधेश प्रसाद जी की सूचना स्वीकार की जाती है। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आप बाद में दे दीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, एक विधान सभा क्षेत्र राघव जी का है और दूसरा मुजफ्फराबाद है। वहां के 7 विधान सभा क्षेत्रों में से 2 विधान सभा क्षेत्रों में विद्युत कटौती करने का काम किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपकी मंशा थी, वह आ गई है। सरकार के संज्ञान में आ गया है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, विद्युत कटौती की वजह से वहां पानी नहीं मिल पायेगा। वहां पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा है, जिसके कारण आदमी और जानवरों दोनों के लिये समस्या पैदा हो गई है। इसलिये मान्यवर, वहां कटौती मुक्त करने का आदेश दोबारा दिला दिया जाए, विद्युत मंत्री जी इसकी घोषणा करने का काम करें। वहां भी जनता निवास करती है और विषम परिस्थितियों में रह रही है। अध्यक्ष महोदय, आप हस्तक्षेप कर हमारी समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित तो करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी आप बैठ जायें, मोती सिंह आप भी बैठिये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2007 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में अनियंत्रित भू-जल दोहन से भू-जल स्तर नीचे गिरने से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री दीप नारायण सिंह की जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्रान्तर्गत नहरों की सिल्ट सफाई तथा चौड़ीकरण और भसनेह बांध के सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त गैस्ट्रो और डायरिया के भयंकर प्रकोप के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथी सूचना श्री राम किशुन की-प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में खराब पड़े नलकूपों व जर्जर नहरों के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न सिंचाई की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी की प्रदेश के बुनकरों विशेषतः वाराणसी महानगर के बुनकरों द्वारा बिजली बकाया एवं अन्य बकायों के भुगतान से पीड़ित होकर धन्धे से पलायन करने तथा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के थाना मुंगराबादशाहपुर अन्तर्गत ग्राम बनगांव तरहरी में बैंक कर्ज की वसूली के दबाव में श्री हरिशंकर सरोज एवं उसकी पत्नी द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कोकब हमीद खां, डा0 अनिल चौधरी, श्री अब्दुल वारिस खान, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना नहर में पानी न होने के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न सिंचाई एवं पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में हैं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं।श्री इमरान मसूद, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री उदयभान करवरिया, श्री मदन चौहान, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जनपद कौशाम्बी का मामला है। यमुना नदी में नाव डूब जाने से 17 शव बरामद हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए। श्री राम बिशुन आजाद जी आप बोलें।

*श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में अनियंत्रित पेयजल दोहन के भू-जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है जिससे प्रदेश में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो चुका है। भू-जल दोहन के कारण शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल की जनता को भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 79 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड में 44 प्रतिशत, मध्य उत्तर प्रदेश में एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 66 प्रतिशत जल का दोहन किया गया है उससे पेयजल का संकट सारे उत्तर प्रदेश में आने वाला है और आ भी चुका है। वर्ष 2050 तक पूरे उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिलेगा और लोग पानी बिना मर जायेंगे। आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध होगा और सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। आज उत्तर प्रदेश में 182 विकास खण्डों में प्रतिवर्ष 5 से0मी0 जल का स्तर घट रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में 56 से0मी0 से 22 से0मी0 भूजल स्तर नीचे जा रहा है। जिस तरीके से जल का स्तर घटा है उससे आने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले समय में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है और बढ़ते हुए शहरीकरण, वनों के कटने से, तालाबों को पाटने से ऐसा हो रहा है। आने वाले समय में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जायेगी। यह सरकार जिस तरीके से काम करने की बात कह रही है लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने अभी तक पेयजल की समस्या के लिए कोई काम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, अभी मेरी पूरी बात नहीं आयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष एक व्यक्ति के लिए 1900 क्यूबिक लीटर पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मान्यवर, आपने अभी अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लखनऊ के राजाजीपुरम् के बारे में और मान्यवर, अन्य शहरों में और ग्रामीण अंचलों में जो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगे हैं वह सूख चुके हैं। उसके रिबोर के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जिस तरीके से ग्रामीण अंचल का जल घटा है उसमें आपको सोचने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो तालाबों की खुदाई हुई है, कुओं की खुदाई हुई है, आप इसे दिखवा लें वहां पर पानी नहीं भराया गया है। पानी का संकट होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

राम बिशुन आजाद जी आप बैठ जायें, आपकी बात आ गयी है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह अविलम्बनीय है और लोक महत्व का सवाल है। प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, पेयजल का संकट है, इस पर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

निश्चित रूप से प्रदेश में अनियंत्रित भू-गर्भ दोहन से जल स्तर नीचे गिरने की समस्या हो गयी है और यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या आयी है इसलिए प्रदेश और भारत सरकार दोनों इस मामले में चिन्तित हैं। भू-गर्भ जल स्तर नीचे न गिर पाये इसके लिए तमाम उपाय किये गये हैं जैसे तालाबों को बनवाये जाने का निर्णय लिया गया है, कुओं को खुदवाने का निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश स्तर पर भू-गर्भ जल को बनाये रखने के विभिन्न उपाय किये गये हैं। जहां तक मा0 सदस्य ने पेयजल की समस्या का जिक्र किया है उन्होंने शायद आज का बजट भाषण पढ़ने का काम नहीं किया है। मा0 मुख्य मंत्री ने प्रदेश की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट को पढ़ने के उपरान्त मा0 आजाद साहब को कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नेता बहन मायावती जी ने स्वयं इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है और पूरे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बजट रखने का काम किया है। इसमें

पेयजल की व्यवस्था, रिबोरिंग कराने की व्यवस्था की गयी है इसमें किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। कार्य-स्थगन का विषय यह निश्चित रूप से नहीं बनता है क्योंकि जब अनुदान मांगें आयेंगी उस अनुदान मांग के अन्दर सदस्य को पूरी तरह से चर्चा करने का मौका मिलेगा। यही नियमावली में है कि अगर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है तो वह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनेगा, अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री राम बिशुन आजाद जी व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना जो श्री दीप नारायण सिंह जी की है, को ले रहा हूं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, इन्होंने जल दोहन को बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें मैंने श्री दीप नारायण सिंह जी को बुला लिया है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, इन्होंने यह नहीं बताया है कि यह क्या करने जा रहे हैं, हमारी सरकार की क्या सोच है यह कोई बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने नहीं बतायी है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें।

श्री दीप नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुन्देलखण्ड झांसी के अन्तर्गत गरौठा विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आया हूं। वहां पर जो मौजूदा हालात हैं वह अपने आप में दर्दनाक है। पिछले तीन-चार सालों से वहां पर पानी नहीं बरसा है और हजारों हैक्टेयर भूमि असिंचित एवं बंजर होती जा रही है। किसानों की हालत काफी कमजोर हो रही है और वह भुखमरी के कगार पर हैं। अगर समय रहते पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है तो आधा हिस्सा तो खाली हो चुका है बाकी बचे लोग भी दूसरी जगह चले जायेंगे। मान्यवर, वहां पर दो नदियां हैं बेतवा और लखेरी हमारे विधान सभा क्षेत्र से गुजर रही हैं। पिछले तीन साल से पानी नहीं पहुंचा खेतों पर लेकिन करोड़ों क्यूसेक पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में चला गया है। एक कार्य-योजना जरूर बनायी जानी चाहिए जो बरसात में बहते हुए पानी को हम नहरों के माध्यम से, अभी संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे कि भूगर्भ-जल स्तर को ठीक करने के लिए तालाबों को खुदवा रहे हैं लेकिन मान्यवर, जहां पानी नहीं बरसेगा वहां तालाब कहां भरेगा। पिछले तीन साल से जो बड़े-बड़े बांध

थे, झीलें थीं सब सूख गयी हैं। भसनेह बांध लगभग डेढ़ सौ गांवों को सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करता था और बहुत बड़ी आबादी को पीने के पानी की व्यवस्था उससे की जाती थी लेकिन आज यह स्थिति है कि आज वह बांध पूरी तरह से सूख गया है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करा कर के शासन में लम्बित है, बरसात का जो पानी बह रहा है वह मुख्य नहर के माध्यम से भसनेह बांध को यदि भर देंगे तो डेढ़ सौ गांवों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायेंगे। आप जो भू-जल स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वह भू-जल स्तर को बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा और उस डैम के माध्यम से गांव को पानी भी पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री दीप नारायण सिंह-

मान्यवर, बस एक मिनट का समय लेंगे, मान्यवर, वहीं इन बड़ी नदियों में दो-तीन ऐसे संग्रह स्थल भी हैं जहां बहुत बड़ा पानी का संग्रह है वहां लिफ्ट लगा कर हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जल्दी कोई व्यवस्था करने का प्रबन्ध करें। जहां तक हैण्ड पम्प का सवाल है, अधिकांश हैण्ड पम्प चोक कर गये हैं और अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है, बजट में जो प्राविधान किये हैं वह आने वाले समय में तय होंगे लेकिन वर्तमान में कोई शासनादेश या सूचना ऐसी पहुंचाई गई है कि आप अपनी विधायक निधि से भी हैण्ड पम्प नहीं लगवा सकते हैं। तो मान्यवर, वहां पानी पीने के लिये लोग दो-तीन किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। गांव की महिलाओं की स्थिति यह है कि अगर हम आपको पिक्चर दिखा दे दें तो आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म का सीन है। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से सिर पर रखकर पीने का पानी का इन्तजाम किया जा रहा है। लोग तीन-चार दिन में एक बार नहाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिये अतिशीघ्र हैण्डपम्प लगाने का काम किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर गौर किया जाय क्योंकि मैं पहली बार चुन कर यहां आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य होने के बावजूद आपने अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से रखा इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने बुन्देलखण्ड में नहरों में पानी न आने के बारे में अपनी बात रखी है। मान्यवर, नहरों में अन्तिम छोर तक पानी जाये इस बात के लिये बजट में प्राविधान किया गया है और विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में इस समस्या को दूर करने के लिये सिंचाई विभाग काफी चिन्तित है और उसके लिये कई इन्तजाम किये गये हैं। निश्चित रूप से मैं

आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि बुन्देलखण्ड की इन समस्याओं को दूर करने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है और जब बजट प्रस्तुत होगा तो उस अनुदान मांग में निश्चित रूप से उसका उल्लेख भी विस्तार से होगा। इसके लिये हमारी सरकार पूरी तरह से चिन्तित है और इसके लिये प्रयास भी कर रही है कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचे। किसान को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध हो इसके लिये निश्चित रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक पेय जल संकट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि विधायक निधि में रोक लगाया गया है, मैंने जहां तक समझा है, विधायक निधि में ऐसा कोई प्राविजन नहीं किया गया है कि इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प आप नहीं लगवा सकते हैं। विधायक निधि से बिल्कुल आप हैण्ड पम्प लगवा सकते हैं, इस पर किसी तरह का रोक नहीं है। कार्य-स्थगन के रूप में यह स्वीकार्य होने के योग्य नहीं है इसलिये आप से चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री दीप नारायण सिंह जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको मैं निरस्त करता हूं। सरकार ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया माननीय सदस्य को। सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, जब वहां नहर ही नहीं बनी है तो पानी वहां कहां से पहुंचेगा। अन्तिम छोर तक ? पहले यह बात तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने अपनी सूचना में लिखा है कि नहर की सफाई नहीं हो रही है, यह नहीं कह रहे हैं कि नहर नहीं बनी हैं

श्री दीप नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो भसनेह बांध में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध है उसके लिये नई नहर कम से कम दो किलोमीटर खुदनी है, फिर एक नाला बना हुआ है जिसके माध्यम से पानी भसनेह बांध तक पहुंच सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री जी, आप बुन्देलखण्ड की समस्या की गम्भीरता को जैसा माननीय सदस्य जी ने कहा है, इसको आप दिखवा लें। वैसे सरकार ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, आपके आदेशों का पालन किया जायेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस प्रश्न को उठाने के पीछे मकसद यह है कि आने वाली परिस्थितियों से सरकार को सचेत करना है। मान्यवर, मानसून की पहली दस्तक के साथ कुछ समस्यायें प्रदेश में अनवरत रूप से चली आ रही हैं। खास तौर से बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल सर्वाधिक प्रभावित होता है। मान्यवर, जब यह गेस्ट्रोइंटीराइटिस बीमारी फैलती है तो ज्यादातर चिकित्सालयों में उपचार नहीं होता है। इसमें कई जानें जाती हैं। गांव में एक-दो लोगों को यह बीमारी होती है तो पूरा गांव संक्रमणित हो जाता है। इसका उपचार तुरन्त किया जाना चाहिए। मान्यवर, कुओं में जैसे पहले दवा पड़ती थी आज नहीं पड़ती है। जब बीमारी फैलती है तब दवा पड़ना प्रारम्भ होती है। जहां पानी रुकता है तो वहां भी इस बीमारी के उत्पन्न होने का भय बन जाता है। मान्यवर, इस विषय को यहां पर लाने के पीछे मकसद यही है कि सरकार समय से पहले सचेत हो जाय और उन जगहों पर दवायें उपलब्ध हो जायें, सफाई अभियान चलाये जायें। खासतौर से जो इसमें सैकड़ों लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, उनको बचाया जा सके। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है सरकार इस पर प्रभावी कार्यवाही करे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय प्रमोद तिवारी जी के विचार और सुझाव अच्छा है और निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने भी इस दिशा में चिन्ता व्यक्त की है। प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे उन्हें चिकित्सा सुविधायें सुलभ हों इसके लिए बजट में काफी व्यवस्थायें की गयी हैं। निश्चित रूप से समय रहते हुए माननीय प्रमोद तिवारी जी के सुझाव के अनुसार इसमें कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कार्य स्थगन का प्रस्ताव यह नहीं बनता है इसलिए कृपया इस सूचना को निरस्त घोषित करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, पूर्वांचल के किसानों की करीब तीन लाख हेक्टेयर जमीन अनुपजाऊ पड़ी हुई है, 251 ट्यूबवेल खराब हैं। विभिन्न जनपदों में खराब हैं। सैकड़ों नहरें जो जर्जर हैं उसके कारण से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लगभग दो लाख हेक्टेयर किसानों की जमीन सिंचाई न होने के कारण बर्बाद हो रही है। अभी सरकार ने बजट पेश किया है मान्यवर, एक भी नये ट्यूबवेल का प्राविधान वहां के लिए नहीं किया गया है। मात्र 14 नये ट्यूबवेल कुछ विशेष स्थानों पर स्थापित करने की बात है। मान्यवर, अगर इन जर्जर नहरों की मरम्मत नहीं करायी गयी तो किसानों की सुविधा के लिए टेल तक पानी नहीं पहुंच सकेगा। जो आपके मरम्मत के कार्य हैं इसके लिए प्राविधान बजट में नहीं किया गया है। पुनरोत्थान की योजनायें जो नहरों की हैं वह आज ठण्डे बस्ते में चली गयी हैं। मान्यवर, चन्दौली में बीस ट्यूबवेल खराब हैं जबकि वह क्षेत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धान का कटोरा कहा जाता है। मान्यवर, वहां का, पूर्वांचल का, किसान धान बहुत पैदा करता है। अगर सरकार ने इस समस्या की तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया तो वहां किसानों की जमीन ऊसर हो जायेगी, बंजर हो जायेगी। अगर समय रहते आवश्यक प्राविधान नहीं किये गये तो निश्चित रूप से किसान की पैदावार घटेगी और जब पैदावार घटेगी तो उसकी माली हालत खराब होगी।

इसलिए यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और अविलम्बनीय है। मैं सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर आपसे चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी है और बजट में, इससे ज्यादा आज तक कभी भी किसानों के हितों के लिए बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है उसमें किसानों की तमाम योजानाओं को शामिल किया गया है। जहां तक 14 नलकूप का जिक्र किया गया है यह वैसे क्षेत्रों के लिए है जहां पानी बहुत दुर्लभ है। पानी का जल स्तर बहुत नीचे है उसके लिए कहा है। माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं। इतने बड़े पैमाने पर नलकूपों का ऊर्जीकरण करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। निश्चित रूप से इससे बढ़ा किसानों का हित कभी भी नहीं हो पाया है। विगत कई वर्षों से एक भी निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण का काम नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा कार्य किया गया है और इसका स्वागत होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े, फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़े, प्रति हेक्टेयर अत्यधिक उत्पादन हो, हम अन्य प्रान्तों के मुकाबले पंजाब और हरियाणा से ज्यादा हेक्टेयर उत्पादन कर पायें इस दिशा में हम सचेत हैं और इसके लिए कार्यवाही की जायेगी। मैं इतना बताना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल के लिए, बुन्देलखण्ड के लिए तो विशेष योजना का शुभारम्भ किया गया है। बहन मायावती जी ने बताया है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से जब विभागीय बजट आयेंगे उसमें विस्तार से उन योजनाओं के बारे में बताने का अवसर मिलेगा। आपको भी उसमें आपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम-56 के अन्तर्गत इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, 17 जिलों में 14 ट्यूबवेल, यह इनका वाक्चातुर्य है, इनकी कितनी प्रशंसा की जाय। मैं समझता हूं कि पहले प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री के वाक्चातुर्य की प्रशंसा होनी चाहिए। 70 जिलों में 14 ट्यूबवेल, किसानों की बड़ी भारी चिन्ता, कलेजा फटा जा रहा है, इससे अधिक दिवालियापन और नहीं हो सकता। ऐसी सोच मान्यवर, 70 जिलों में 14 ट्यूबवेल की स्थापना हो रही है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, 70 जिलों में 14 ट्यूबवेल कैसे सिंचाई होगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

(श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी जी नहीं हैं। उनकी सूचना प्रदेश के बुनकरों विशेषतः वाराणसी महानगर के बुनकरों द्वारा बिजली बकाया एवं अन्य बकायों के भुगतान से पाड़ित होकर धन्धे से पलायन करने तथा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के सम्बन्ध में है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, सरकार किसानों की बड़ी हितैषी होने की बात करती है और 14 ट्यूबवेल की बात करती है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम किशुन जी आपकी पूरी बात आ गयी है, आप बैठें।

माननीय राम किशुन जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, हमारे जनपद जौनपुर के तहसील मछलीशहर के थाना मुंगराबाद शाहपुर अन्तर्गत ग्राम बनगांव तरहढ़ी के हरीशंकर सरोज जिनकी उम्र 80 वर्ष तथा उनकी पत्नी कलावती जिनकी उम्र 75 वर्ष थी ने 16 जून को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने 25,000 रुपये लोन लिया था और उसमें से एक साल के अन्दर 12,000 रुपये जमा भी कर दिया था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। जब वसूली करने के लिए लोग इनके यहां गये तो यह लोन जमा करने मे अक्षम थे और बाद में दोनों पनि-पत्नी ने इस वजह से आत्महत्या कर ली। उनके तीन बच्चे हैं, वह भी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा अनुरोध है कि एक तो उनके लोन को माफ कराया जाय, क्योंकि परिवार में दो लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ 16 हजार रुपयों के लिए कोई परिवार बर्बाद हो जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इनके परिवार को बी0पी0एल0 कार्ड और अन्त्योदय कार्ड की सुविधा प्रदान की जाय और इनके बकाया ऋण राशि को माफ कर दिया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, बहुत छोटी सी 16 हजार रुपये की धनराशि है, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब चाहती हूं कि वह सदन में स्पष्ट करें कि बकाया कर्जा माफ कर दिया जायेगा और उनके परिवार के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वह यह सरकार करेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से मैंने यह कहा कि नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय सदस्या सीमा द्विवेदी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए इसको निरस्त करता हूं।

अगली सूचना के लिए श्री कौकब हमीद खां, डा0 अनिल चौधरी, श्री अब्दुल वारिस खान, डॉ0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी में कोई मौजूद है ?

डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यमुना नहर सिंचाई प्रणाली जो वहां की लाइफ लाइन कहलाती है, वह 150 कि0मी0 लम्बी है। यह प्रणाली सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद होते हुए शाहदरा में खत्म होती है। पिछले 4 साल से इस नहर में पानी की यह स्थिति है कि साल भर में मुश्किल से 15-20 दिन या अधिकतम एक महीने ही पानी आता है। यह सिंचाई प्रणाली उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत वर्ष की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। इसमें पानी न आने का मूल कारण यह है कि इसको मूल श्रोत यमुना नदी से हरियाणा और दिल्ली को ज्यादातर पानी दे दिया गया है जिसके कारण पानी की निरन्तर कमी होती जा रही है और इस नहर में जल स्तर निरन्तर घटता जा रहा है जिससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। नहर में पानी न होने की वजह से यहां के गांवों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से इस क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और पेयजल संकट भी पैदा हो रहा है। इसके अलावा पशुओं के लिए नहरों में जो अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता था, पशुओं के पीने के पानी, उनको नहलाने-धुलाने आदि की व्यवस्था की जाती थी, वह भी नहीं हो पा रही है। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुरूप व रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध न होने की वजह से मजबूरी में किसानों को जनरेटर और डीजल पम्प के द्वारा अपनी सिंचाई का साधन करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इन चारों जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद में किसानों के करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे इस नहर में तुरन्त और शीघ्र पानी की व्यवस्था हो और किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाई जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सिंचाई के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना नहर में पानी न होने के कारण किसानों की समस्याओं का जिक्र किया है। मान्यवर, सरकार स्वतः सिंचाई के लिए चिन्तित है और माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात के लिए सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार ने नहरों की सफाई कराकर अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य को प्राथमिकता प्रदान की है। इसके लिए विभागीय बजट के अतिरिक्त विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से भी उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जायेगा। वृहद् एवं

मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए लगभग 2 हजार 73 करोड़ रुपये और अनुरक्षण कार्य के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को और आदरणीय सदन को सरकार की मंशा और सरकार की चाहत से पूरी तरह से आशान्वित होना चाहिए। किसानों के विकास के बगैर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है और इस सरकार की प्राथमिकता इस दिशा में है। इसलिए मान्यवर, जब उस विभाग का बजट आयेगा उसमें विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा, कार्य-स्थगन के रूप में ग्राह्य करने योग्य नहीं है, इसलिए निवेदन करूंगा कि इसे अग्राह्य किया जाए।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, पानी की उपलब्धता कैसे करायी जायेगी ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात पर मैं कहीं कोई शक नहीं कर रहा, इन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करायी जायगी ताकि किसानों को रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो सके। मान्यवर, पानी हरियाणा और दिल्ली को देने और बेचने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, यही नहीं पूर्वी यमुना नहर के अतिरिक्त गंग नहर से भी दिल्ली को पानी बेचने के लिए एग्रीमेंट किये गये हैं तब फिर पानी उपलब्ध होगा कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, चिन्ता न करें, सरकार पक्ष का निर्णय आ गया है, अब मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव के खड़े होने पर)

माननीय दुर्गा प्रसाद जी आपका नियम-51 में वक्तव्य आ गया है, वक्तव्य में मांग लिया गया है, इसलिए इसमें नहीं आया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध मैं कर रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था करेंगे, यही आवयकता भी है। संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार की चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं तो मान्यवर, मरीज भी चिन्तित और डाक्टर भी चिन्तित तो कैसे रोग ठीक होगा ? इसलिए सीधे बात करें कि क्या प्रबन्ध करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चौधरी साहब ने रोग पैदा किया है, साढ़े तीन वर्षों में इस दिशा में कोई कदम उठाने का काम नहीं किया केवल एक काम हुआ प्रदेश में कि विकास परिषद् बनाकर कुछ लोगों को विकसित करने का काम किया गया। उसमें अपराधी भी हैं और कुछ उद्योगपति भी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उस अराजकता से निकालकर प्रदेश को व्यवस्थित ढंग से

विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है और हमारी नेता ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से अभी चौधरी साहब बैठे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे थे और दोनों लोग तारीफ कर रहे थे मन ही मन में कि कैसे इतना अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है। मैंने भी विभिन्न बजटों को देखा है लेकिन इतना अच्छा बजट प्रदेश के विकास के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे निश्चित रूप से इस बजट से प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैन साहब क्या कहना चाहते हैं, दो मिनट में कह लें।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

कौन सी सूचना पर, जिस पर माननीय सदस्य बोले थे। आपको बैठने के बाद फिर याद आ गया, वह तो निरस्त हो चुकी है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, बजट में पानी का तो कहीं प्राविधान नहीं किया गया है। बजट में नहरों की सफाई, जीर्णोद्धार के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन हमारी तो समस्या यह है कि हमारे यहां पानी नहीं मिल रहा है नहरों को। इसलिए हम अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे यहां नहरों की सफाई भी है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है, कृपया इसकी व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब 20 मिनट के बाद कैसे याद आ रहा है ? आपकी सूचना निस्तारित हो चुकी है। लम्बा सत्र है, बहुत से नियम हैं आप इसे और दूसरे नियमों में दीजियेगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, साल में एक बार पानी आता है।

महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, साल में एक बार पानी आता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 27 जून, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिए अनाथालय एवं अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा (2) (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 27 जून, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त बोर्ड में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक अविलम्बनीय व लोकमहत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। झांसी बुन्देलखण्ड का एक पिछड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश शासन से वर्ष 2002 में गजट करके झांसी को महानगर का दर्जा प्रदान किया गया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से झांसी को महानगर के सारे मानक पूर्ण करता है। लेकिन इसे मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या झांसी का दुर्भाग्य कहूं, पिछली बार जब उप-चुनाव में जीतकर आया था उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्तमान् में जब पुनः चुनकर आया हूं बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। ऐसे में मेरे क्षेत्र को उपेक्षित रखा जाता है। पिछली बार बिजली के मामले में मेरे ऊपर 40 लाख रुपये का मुकदमा दर्ज हो गया था। झांसी जो महानगर का दर्जा प्राप्त है, बी-2 श्रेणी के सारे मानक पूर्ण करने के बाद भी वह सारी सुविधायें नहीं मिल रही हैं जो महानगर के कर्मचारियों को मिलनी चाहिये। प्रदेश के सारे महानगरों को 20 घण्टे बिजली आपूर्ति हो रही है, जबकि झांसी महानगर को 16 घण्टे बिजली मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की हृदय स्थली झांसी के अन्दर कर्मचारियो को जो नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत हैं, उनको बी-2 की सारी सुविधायें मिलनी चाहिये। कर्मचारी लगातार धरना-प्रदर्शन व हड़ताल कर रहे हैं। उनका जायज हक तत्काल मिलना चाहिये। अगर झांसी को महानगर घोषित किया गया है तो उसको महानगर को मिलने वाली सुविधायें प्रदान की जायं या तो उसको महानगर के दर्जे से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये मैंने आपके सम्मान में दो मिनट का मौका दे दिया।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

वहां के कर्मचारी आहत हैं वह अपने हक और अधिकार के लिये हड़ताल कर रहे हैं पूरी जनता उनके साथ हैं। सारे महानगरों को 20 घण्टे लाइट मिलती है। जबकि झांसी भी महानगर है उसकी आबादी पांच लाख से अधिक है उसको भी 20 घण्टे लाइट के साथ साथ सारी चीजें मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह झांसी को समस्याओं से निजात दिलायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जी आपकी सूचना पहले ही अस्वीकार हो चुकी है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मैं ससंदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सरकार की ओर से इस पर कुछ आश्वासन दे दें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

करवरिया जी आपकी सूचना अस्वीकृत हो चुकी है। नये सदस्य हाजी अब्दुल समद कुछ कहना चाहते हैं उनको बोलने दें। यह कहीं चले गये थे।

*हाजी अब्दुल समद अंसारी-

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बुनकरों विशेष कर वाराणसी महानगर के बुनकरों पर सरकारी बकाये की वसूली में सख्ती होने के कारण पिछले दिनों उनके द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मानवीय संवेदना को भुलाकर जिस तरह से उनको वसूली के लिये प्रताड़ित किया जा रहा है इससे वह पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं इस पर सरकार द्वारा कोई सुनिश्चित कार्यवाही न किये जाने के कारण आत्महत्या की घटनायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नये सदस्य हैं आपको बता दें कि सदन में पढ़ा नहीं जाता है। आगे से ध्यान देना होगा।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

मेरा अनुरोध है कि बुनकरों पर जो भी बकाया है उसको पूर्णतया माफ कर दिया जाय। पिछले कई वर्षों से वाराणसी का साड़ी उद्योग मरणासन्न पड़ा हुआ है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बुनकरों पर जो बिजली का बकाया है उस सम्पूर्ण बकाये को माफ करने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना सुननी थी इनकी बुनकरों के सम्बन्ध में सूचना थी।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, बुनकरों की गम्भीर समस्यायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं राम किशुन जी आप बीच में गलत बोलकर समस्या की ग्रेविटी को कम कर रहे हैं। अंसारी साहब आप इनको बैठाइये वर्ना ग्रैविटी कम हो जायेगी आपके प्रश्न की।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि बुनकरों पर जो बिजली का बकाया है वह सारा माफ किया जाय। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि बुनकरों को जो रेशम उपलब्ध कराने की जो योजना है वह प्रभावी रूप से लागू की जाय। बुनकरों का माल खरीदने के लिये नई योजनायें बनाई जायं। जिस तरह से बुनकरों का पहचान पत्र बना था बुनकर कार्ड। उनसे चिन्हित करके बुनकरों से डायरेक्ट माल खरीदने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना बनाई जाय ताकि उनका शोषण न हो सके। इसके साथ ही साथ बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये भी योजना बनाई जाय।

(माननीय सदस्य श्री राम किशुन के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राम किशुन जी आप बैठ जाइये। सारी बातें हो गई हैं। माननीय सदस्य आपसे अच्छा बोले हैं।

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं। बनारस से चुनकर आये हैं, बुनकरों के बहुत नजदीक रहे हैं। मैं भी वहीं बगल का हूं। मैं आपको बता दूं कि इस समस्या को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल सामने बैठे हुये इन लोगों का रहा है। पिछले साढ़े तीन साल में इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे धीरे-धीरे यह समस्या और गम्भीर हो गई। भारत सरकार द्वारा इसके लिये बहुत सहायता मिलती है। जब से यह सरकार आई है अभी आपने देखा है बहन जी ने तमाम योजनायें बुनकरों के लिये घोषित की हैं। इस सरकार के आने के बाद हम लोगों ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। हम इसके लिये आपका सहयोग लेंगे और जो भी उनकी समस्यायें हैं उनको दूर करने के उपाय करेंगे। मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि जहां भी प्रदेश में बुनकरों की समस्यायें हैं। गोरखपुर में भी हैं, बनारस में भी हैं। जहां भी प्रदेश में बुनकर हैं वहां पर बुनकर माफिया बुनकरों का शोषण करते हैं उनको आप चिन्हित करने में हमारी मदद करें। इसके लिये हमने अपने अधिकारियों को आदेशित कर दिया है। हम आप लोगों का इसमें सहयोग लेंगे और बुनकरों की समस्याओं को दूर करने में हमसे जो भी बन पड़ेगा हमारी सरकार इसके लिये करेगी।

(श्री राम किशुन के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये राम किशुन जी। माननीय सदस्य नये सदस्य हैं इसलिये उनको सुन लिया है। उनकी बात आ गई है और उस पर सरकार का भी पक्ष आ गया है। इतनी अच्छी बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि आपका सहयोग उन्होंने मांगा है। मैंने श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी को और माननीय मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी,

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी नियम-51 की सूचना लें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आक्षेप किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने साढ़े तीन वर्षों में कुछ नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में बुनकरों की समस्याओं के प्रति चिन्ता ही नहीं व्यक्त की बल्कि उनकी बेहतरी के लिये कदम उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, समस्याओं से दुम छुड़ाने वाली सरकार केवल चिन्ता व्यक्त करने का काम करती है। माननीय मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह कोई आक्षेप नहीं है। वह स्थिति बता रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं चुनौती देता हूं उनके इस वक्तव्य को कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में बुनकरों के हित के लिये जो कदम उठाये गये हैं वह कभी नहीं उठाये गये। और यह जो माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर देते समय पूरी तरह से गलत बयानी की है और मैं उनके आक्षेप को उनके ऊपर लौटाता हूं मान्यवर।

(माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, बैठ जाइये। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्रीमती शादाब फातिमा की प्रदेश में फल एवं सब्जियों को शीघ्र पकाये जाने हेतु आक्सीटोसिन का विषाक्त इंजेक्शन का प्रयोग किये जाने तथा प्रतिबंधित इंजेक्शन की उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत हरे पेड़ों की कटाई कर कोयला बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में निर्धारित मात्रा से अधिक कीटनाशाक व रसायनिक खादों के प्रयोग से खाद्य पदार्थों के विषाक्त होने से निरन्तर बढ़ रही घातक बीमारियों के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांचवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां अन्तर्गत ग्राम आदमपुर निवासी ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में पौराणिक कौथला नामक झील की भूमि पर भू-माफियाओं की अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली की कोतवाली मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम डाण्डी में डकैतों द्वारा गृहस्वामी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्रीमती उमलेश यादव की जनपद बदायूं के बिसौली क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव की जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं। श्री शम्भू चौधरी, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री इमरान मसूद, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री शिवशंकर चौहान, श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री पूरन प्रकाश, श्री शिवशंकर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री दशरथ प्रसाद चौहान, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मदन भैया, श्रीमती कृष्णाराज, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राम प्रकाश कुशवाहा।

अब हम उठते हैं 2 जुलाई, 2007 को पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 22 मिनट पर सोमवार दिनांक 2 जुलाई, 2007 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 29 जून, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 264 विधान सभा-(481)-3-10-07-813 प्रतियां।